आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या- 3301 /चौदह-4-2014-503/2008टीसी

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4

लखनऊ, दिनांक, ०9 अक्टूबर, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष-2014-15 में आयोजनागत योजना " तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन" के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1324/36-पी-145/36-पी-145/36-पी-5 (13वेंव0आ0)/2014-15 दिनांक 21 जुलाई, 2014 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत योजना " तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वय"' के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 19,79,35,000.00 के सापेक्ष शासनादेश सं0-1294/चौदह-4-2014-503/2008 टीसी दिनांक 09.06.2014 द्वारा प्रथम चार माह के लिए (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रू0 6,59,78,000.00 (रू0 छः करोड़ उन्सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है।

2- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किए जाने हेतु दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु शासनादेश दिनांक 09.06.2014 द्वारा लेखानुदान के माध्यम से निर्गत धनराशि रू0 659.78 लाख को समायोजित करते हुए धनराशि रू0 849.22 लाख की स्वीकृति निम्न लेखा शीर्षकों के सम्मुख अंकित धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60-आयोजनागत	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत	
01- वानिकी	
101-वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण	
07-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	

08-कार्यालय व्यय	23
13-टेलीफोन पर	1687
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2527
16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	160
18-प्रकाशन	0
26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	790
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1840
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफट वेयर का क्रय	133
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1334
योग-07	**8494**
08-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
29-अनुरक्षण	18268
42-अन्य व्यय	572
योग-08	**18840**
योग राजस्व लेखा (07 08)	**27334**
पूँजीलेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जी पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
15 -तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन (सी0सी0एल0) प्रणाली	
24-वृहत निर्माण कार्य	57588
योग पूँजी लेशा-15	57588
कुल योग (राजस्व लेखा पूँजी लेखा)	84922

(रू0 आठ करोड़ उन्चास लाख बाईस हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग विगत वित्तीय वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अत: जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय करते समय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19/25 अगस्त, 2011 में समेकित कार्य योजना के अनुमोदन के समय दिये गये दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक, 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6- योजनान्तर्गत भवन निर्माण के संबंध में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के आंगणन/साइट प्लान/ मास्टर प्लान आदि तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्रापत करने के उपरान्त ही धनराशि को व्यय किया जायेगा। भवन निर्माण के कार्य वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश सं0-1135/दस-सं0वि0-मित0-1-99 दिनांक 10.09.1999 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करायें जांय।

7- योजनान्तर्गत वस्तुओं का क्रय स्टोर तथा परचेज वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धधनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/ दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी भी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव